<u>अपील संख्या 1755/2013/प्रतापगढ</u>
वाणिज्यिक कर अधिकारी
वृत–प्रतापगढ अपीलार्थी

बनाम

मैसर्स जगदीश पेट्रोल पम्प
प्रतापगढ प्रत्यर्थी

<u>एकलपीठ</u>
<u>श्री सुनील शर्मा,सदस्य</u>

उपस्थितः
श्री आर.के.अजमेरा
उप राजकीय अभिभाषक अपीलार्थी की ओर से
--- प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांकः 28.10..2015

<u>निर्णय</u>

यह अपील सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,वृत–प्रतापगढ (जिसे आगे कर निर्धारण अधिकारी कहा जायेगा) की ओर से अतिरिक्त आयुक्त,अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर, उदयपुर (जिसे आगे अपीलीय अधिकारी कहा जायेगा) द्वारा अपील संख्या 35/वैट/2012–13/चित्तौडगढ में पारित आदेश दिनांक 31.05.2013 के विरूद्ध पेश की गयी हैं।

प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रत्यर्थी व्यवहारी के वर्ष 2008–09 का मूल कर निर्धारण 28.12.2010 को पारित किया जाकर रू. 46,701/–की मांग सृजित की गई थी। उक्त कर निर्धारण आदेश में संशोधन करने हेतु प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा संशोधन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। कर निर्धारण अधिकारी ने मूल कर निर्धारण आदेश पारित करने से पूर्व प्रत्यर्थी व्यवहारी को नोटिस जारी किया गया था,जो उसे तामील हो चुका था परन्तु उसकी ओर से कोई जवाब प्रस्तुत नहीं करने के कारण अब उसे संशोधन किया जाना उचित नहीं मानते हुए कर निर्धारण आध्किारी द्वारा प्रस्तुत संशोधन पत्र अस्वीकार कर आदेश दिनांक 28.05.2012 पारित किया,जिससे असन्तुष्ट होकर प्रत्यर्थी व्यवहारी ने अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की। अपीलीय अधिकारी ने दोनों पक्षों को सुनने के पश्चात अपीलाधीन आदेश दिनांक 31.052013 पारित कर प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित कर दिया । उक्त प्रतिप्रेषित आदेश के विरूद्ध कर निर्धारण अधिकारी की ओर से यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपीलार्थी कर निर्धारण अधिकारी की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने कर निर्धारण अधिकारी के आदेश दिनांक 28.05.2012 का समर्थन करते हुए प्रस्तुत अपील स्वीकार करने का निवेदन किया तथा अपील का गुणावगुण पर निर्णय करने का निवेदन किया।

विद्वान उप राजकीय अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया तथा अपीलीय अधिकारी के आदेश दिनांक 31.05.2013 एवं पत्रावली पर उपलब्ध रेकॉर्ड का अवलोकन किया गया। अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 31.05.2013 के

अवलोकन पर ज्ञात होता है कि अपीलीय अधिकारी द्वारा पुनः जांच कर आदेश पारित करने हेतु प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया गया। पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि प्रतिप्रेषित आदेश के अनुसरण में कर निर्धारण अधिकारी ने वर्ष 2008–09 का पुनः कर निर्धारण आदेश दिनांक 29.08.2013 को पारित किया जा चुका है,आदेश दिनांक 29.08.2013 की प्रति पत्रावली के पेज 49 पर उपलब्ध है।

अतएव अपीलीय अधिकारी के प्रतिप्रेषित आदेश दिनांक 31.05.2013 की पालना में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पुनः कर निर्धारण आदेश पारित कर दिये जाने से अब अपीलीय अधिकारी के प्रकरण प्रतिप्रेषित करने सम्बन्धी अपीलाधीन आदेश के विरूद्ध विचाराधीन अपील चलने योग्य नहीं रहती है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त **सहायक आयुक्त हनुमानगढ़ बनाम मैसर्स मोहित ट्रेडिंग [(2009) 25 टैक्स अपडेट 59] एवं राजस्थान कर बोर्ड की माननीय खण्डपीठ द्वारा अपील संख्या 1290/2008/अलवर सहायक आयुक्त,वृत बी,भिवाडी बनाम मैसर्स ओरियन्ट सिन्टैक्स लिमिटेड,भिवाडी** में पारित निर्णयों में भी ऐसा ही सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है।

परिणामतः राजस्व की ओर से अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 31.05.2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई प्रश्नगत अपील सारहीन (Infructuous) हो जाने से एतद्द्वारा खारिज की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

(सुनील शर्मा)
सदस्य